

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
२६-०९ २०२०	<p>अभिलेख उपरथापित। आवेदक रिसा बोयपाई, पिता/पति- स्व० गारदी बोयपाई, ग्राम-पन्डावीर, थाना-मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा - तमाड़बाँध, थाना नं०-१२५, खाता नं०-२६, प्लॉट नं०- ९२१, रकवा- <math>0.07\frac{1}{2}</math> एकड़, भूमि क्रेता कमला बोयपाई, पिता/पति- स्व० गारदी बोयपाई, ग्राम- पन्डावीर, थाना-मुफ्फसिल, जिला प० सिंहभूम के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम से नामान्तरण मुकदमा सं०-१७१/२००८-०९ द्वारा नामान्तरित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-९३४ दिनांक २३.०९.२०२० द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गृह निर्माण एवं हल-बैल खरीदने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता कमला बोयपाई, पिता/पति-स्व० गारदी बोयपाई, ग्राम-पन्डावीर, थाना- मुफ्फसिल, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। किसी को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफ्फसिल थाना के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष २.६० एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।</p> <p>अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक रिसा बोयपाई, पिता/पति-स्व० गारदी बोयपाई, ग्राम-पन्डावीर, थाना- मुफ्फसिल, जिला प० सिंहभूम ने क्रेता कमला बोयपाई, पिता/पति- स्व० गारदी बोयपाई, ग्राम- पन्डावीर, थाना- मुफ्फसिल, जिला प० सिंहभूम के पास ३,००,०००.०० (तीन लाख) रूपया में मौजा- तमाड़बाँध, थाना नं०- १२५, खाता नं०- २६, प्लॉट नं०- ९२१, रकवा- <math>0.07\frac{1}{2}</math> एकड़, भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तान्तरण करने की <u>अनुमति</u> दी जाती है।</p> <p>लेखापिता <i>भूमि सुधार उपसमाहर्ता</i> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> <p><i>२६/०९/२०२०</i> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p>	